आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

ब्लाक--बी, भूतल, इंद्रावती भवन

छत्तीसगढ़, नया रायपुर

फोन– 0771–2331317, फैक्स– 0771–2221617

ई–मेल– deshq.cg@gmail.com

क्रमांक 1423/2019 /आ.सां.सं./सम.–प्रशि. **रायपुर, दिनांक 10/06/2019**

प्रति,

अपर संचालक/
समस्त, संयुक्त संचालक/
उप संचालक/सहायक संचालक,
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
छत्तीसगढ़, रायपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कार्यकारी योजना–**(वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम)**

वर्ष 2019–20 के लिए, **संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम** संलग्न है, तदनुसार निर्धारित तकनीकी कार्यक्रम में प्रस्तावित कार्यों एवं प्रकाशनों की समयावधि का उल्लेख किया गया है। समंकों की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित संभाग द्वारा प्रस्तावित प्रकाशनों को नियत समयावधि में प्रकाशित किये जाने एवं निर्धारित तकनीकी कार्यों को नियत समय पर सम्पादित किया जाना सुनिभिचत करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(रजत कुमार)
संचालक
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

संचालनालय का वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2019–20

वर्ष 2019–20 की अवधि में संचालनालय स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

संभाग–1. जिला सांख्यिकी तंत्र एवं सांख्यिकी समन्वय प्रशिक्षण

1.1 केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करना, प्रगति की समीक्षा कर राज्य शासन एवं केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली को अवगत कराना।

1.2 संचालनालय की सॉख्यिकी गतिविधियों के संबंध में राज्य तथा केन्द्र शासन में समन्वय स्थापित करना एवं समय–समय पर विभाग की गतिविधियों की वांछित जानकारी शासन को प्रदाय करना।

1.3 महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, वित्त एवं विभागीय मंत्री के अभिभाषण हेतु लेख/जानकारी तैयार कर शासन को प्रदाय करना ।
(समयावधि 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं बजट सत्र पूर्व)

1.4 संचालनालय एवं जिला स्तरीय वार्षिक तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2019–20 तैयार कर सर्व–संबंधितों की ओर संप्रेषित करना। (समयावधि जून, 2019)

1.5 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक समाचार पत्रिका के लिए वर्ष 2019–2020 के विभिन्न त्रैमासांत की जानकारी का प्रदाय।
(समयावधि जून, सितम्बर, दिसम्बर, 2019 एवं मार्च, 2020)

1.6 विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 तैयार कर राज्य शासन को संप्रेषित करना।
(समयावधि जनवरी, 2020)

1.7 जिलों से अर्द्धवार्षिक तकनीकी प्रगति प्रतिवेदन माह सितम्बर, 2019 तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन मार्च, 2020 प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि अक्टूबर, 2019/अप्रैल, 2020)

1.8 जिला/तहसील स्तरीय सांख्यिकी श्रृंखलाओं का प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त करना तथा संबंधित अधिकारियों को टीप सम्प्रेषित करना ।
(समयावधि, प्राप्ति पश्चात् एक माह के भीतर)

1.9 मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों का तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण हेतु वार्षिक रोस्टर वर्ष 2019–20 तैयार कर संसूचित करना तथा निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
(समयावधि – फरवरी, 2020)

1.10 जिलों के विविध वार्षिक सांख्यिकी पत्रक (वाणिज्य/विक्रय कर, आबकारी, पंजीयत लिखित, अल्प बचत, दुकान स्थापना, भू–राजस्व, मुद्रांक, मुद्रण, न्याय, स्वास्थ्य समंक इत्यादि) प्राप्त कर संधारण करना तथा विभागाध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत करना।

1.11 जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों (खण्ड स्तरीय अन्वेषकों सहित) के कार्य आवंटन आदेशों का संधारण करना तथा उपलब्ध अमले में युक्तियुक्त तरीके से कार्यान्वयन की समीक्षा कर छूटे हुये विषयों को सम्मिलित करवाना।
(समयावधि – अप्रैल, 2020)

1.12 भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी, (वर्ष 2018–19) का एकत्रीकरण एवं परिनिरीक्षा पश्चात राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन नई दिल्ली की ओर ऑनलाईन संप्रेषित करना।

संभाग–2.सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण प्रकाशन एवं पुस्तकालय

2.1 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2019–20 के प्रकाशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों/संभागों से पत्र व्यवहार करना तथा प्राप्त जानकारी का परीनिरीक्षण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन कार्य कर विधानसभा के बजट सत्र हेतु समयावधि में प्रकाशन तैयार करना। (समयावधि जनवरी, 2020)

2.2 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना, 2018 की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से संकलित कर सारणीयन पश्चात् प्रकाशन तैयार करना। (समयावधि दिसंबर, 2019)

2.3 राज्य शासन के अन्य विभागों में कार्यरत सॉख्यिकी अमले को सांख्यिकी कार्य संपादन में अपनाई जा रही विभिन्न सॉख्यिकी गतिविधियों यथा– सांख्यिकी संकलन, सारणीयन एवं प्रतिवेदन तैयार करने आदि कार्यो में एकरूपता लाने के उद्देश्य से समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

2.4 केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित विविध प्रशिक्षण सत्रों में अधिकारियों/कर्मचारियों का नामांकन कर, प्रशिक्षण में भेजना।

2.5 संचालनालय एवं जिलों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार विविध विभागीय प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करना।

2.6 जिला स्तरीय प्रकाशन (जिला सांख्यिकी पुस्तिका एवं जनपदीय सामाजार्थिक समंक विवरणिका) को समायावधि में प्राप्त करना। (समयावधि–फरवरी 2020)

2.7 छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप 2018–2019 नामक प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना। (समयावधि–दिसम्बर 2019)

2.8 छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में 2018–19 नामक प्रकाशन तैयार कर प्रकाशित करना। (समयावधि–दिसम्बर 2019)

2.9 राज्य स्तरीय प्रकाशनों के मुद्रण एवं संवितरण की व्यवस्था के साथ ही मुल्यवान प्रकाशनों के विक्रय की व्यवस्था करना।

2.10 सांख्यिकी प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं के कय की व्यवस्था करना।

2.11 उपलब्ध प्रकाशनों/पुस्तकों/पत्र–पत्रिकाओं को संचालनालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य आबंटित करना।

2.12 प्रकाशनों को विभागीय वेबसाइट (ई–लाइब्रेरी) पर अपलोड़ करना।

2.13 शोध छात्रों/सांख्यिकी उपयोगकर्ताओं को सांख्यिकी प्रकाशनों का प्रदान करना।

2.14 छत्तीसगढ़ की शासकीय डायरी 2020 हेतु राज्य की सामान्य प्रमुख जानकारी एवं चुने हुए विषयों की जानकारी तैयार कर शासकीय मुद्रणालय को समयावधि में प्रेषित करना। (समयावधि–नवम्बर 2019)

2.15 निर्धारित प्रकाशन

स.क.	**विषय**	**समय सीमा**
1	छत्तीसगढ़ सांख्यिकी संक्षेप वर्ष 2018–19	दिसम्बर 2019
2	छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में वर्ष 2018–2019	दिसम्बर 2019

संभाग–3. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण

3.1 77वें दौर के क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का प्रशिक्षण, नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिदर्शो का कार्य आबंटन एवं निरंक प्रपत्र प्रदाय करना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.2 77वें क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय उपदौर का सर्वे कार्य निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करवाना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.3 77वें दौर के डाटा एंट्री का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करवाना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.4 77वें दौर के भरी हुई अनुसूचियों की प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में परिनिरीक्षा कार्यशाला आयोजित कर आदर्श परिनिरीक्षा करना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.5 केन्द्र शासन को मासिक प्रगति प्रतिवेदन संप्रेषित करना। (प्रतिमाह 5 तारीख)

3.6 प्रतिमाह 5 प्रतिशत प्रतिदर्शो का संचालनालयीन स्तर से आकस्मिक निरीक्षण करना।

3.7 72वें दौर के लिये केन्द्र एवं राज्य के डाटा के पुलिंग कार्य पूर्ण करना। (समयावधि मार्च 2020)

3.8 73वें दौर के लिये राज्यीय आंकडों का टेबुलेशन कार्यक्रम के आधार पर तालिकाऐं तैयार करना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.9 75वें दौर का डाटा एंट्री कार्य पूर्ण करना। (समयावधि दिसम्बर 2019)

3.10 78वें दौर के क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर नगरीय एवं ग्रामीण प्रतिदर्शो का कार्य आबंटन, प्रपत्र प्रदाय करना। (समयावधि जून 2019)

3.11 केन्द्र शासन के निर्देश पर 7 वीं आर्थिक गणना का कार्य संपादित करना।

संभाग–4. राज्यीय आय, लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण तथा पूंजी निर्माण

4.1 छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान 2017–18(प्रावधिक), 2018–19(त्वरित) एवं 2019–20(अग्रिम) केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप क्रमशः कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का तैयार करना। (समयावधि जनवरी 2020)

4.2 जिला कार्यालयों के माध्यम से कृषि प्रक्षेत्रीय/मंडी की साप्ताहिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.3 जिला कार्यालयों के माध्यम से मत्स्य की मासिक थोक/फुटकर मूल्य की मासिक जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.4 जिला कार्यालयों के माध्यम से वन उपज की वार्षिक जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.5 जिला कार्यालयों के माध्यम से पशुधन एवं कुकुट उत्पाद की त्रैमासिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक तीन माह पश्चात् 10 तारीख तक प्राप्त करना तथा प्रदेश स्तर पर सारणीयन कार्य पूर्ण कराना।

4.6 छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2018–19 नामक प्रकाशन तैयार करना। (समयावधि जनवरी 2020)

4.5 जिला कार्यालयों के माध्यम से पशुधन एवं कुकुट उत्पाद की त्रैमासिक भाव की जानकारी ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्रत्येक तीन माह पश्चात् 10 तारीख के पूर्व संचालनालय को प्रेषित करना।

4.6 छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–12 से 2018–19 नामक प्रकाशन तैयार करना।

4.7 स्थानीय नगरीय निकायों (समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) के वार्षिक बजट वर्ष 2019–2020 प्राप्त कर आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण पश्चात ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एन्ट्री कर सॉफ्ट कॉपी संचालनालय को प्रेषित करना।

(समयावधि जुलाई 2019)

4.8 स्थानीय ग्रामीण निकायों (समस्त जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) की वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 आडिट के दौरान की गई आय–व्ययक पत्रक की जानकारी प्राप्त कर आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण पश्चात ऑनलाईन सॉफटवेयर में एन्ट्री कर सॉफट कॉपी संचालनालय को प्रेषित करना।

(समयावधि जुलाई 2019)

4.9 स्थानीय नगरीय निकायों (समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) से नियोजन एवं परिलाभ की लंबित एवं वर्ष 2019–20 की जानकारी प्राप्त कर परीनिरीक्षा उपरांत संचालनालय को प्रेषित करना।

(समयावधि जुलाई 2019)

4.10 राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों एवं स्वायतशासी संस्थाओं से वार्षिक बजट वर्ष 2019–2020 प्राप्त कर आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण कर जानकारी केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली एवं संचालनालय के राज्यीय आय संभाग को उपलब्ध कराना।

(समयावधि जुलाई 2019)

4.11 जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2011–2012 से 2013–2014 तैयार करना

(समयावधि सितम्बर 2020)

संभाग–5. औद्योगिक खनिज, उर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी एवं वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

5.1 औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 अनुसार तैयार करने हेतु चयनित औद्योगिक इकाईयों से मासिक उत्पादन की जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों के माध्यम से ऑनलाईन सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त करना।

5.2 आयटम बास्केट अनुसार जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारियों/ईकाईयों से प्राप्त मासिक उत्पादन की पूर्ण जानकारी के आधार पर सूचकांक तैयार करना।

(समयावधि मार्च 2020)

5.3 संदर्भित वित्तीय वर्ष 2016–2017 एवं 2017–2018 में उक्त वांछित संमक औद्योगिक ईकाइयों का लेखा प्राप्त कर समेकित कर प्रतिवेदन तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार को उपलब्ध कराना।

(समयावधि नवम्बर 2019)

5.4 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर आ रही व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक कठिनाईयों के निवारण हेतु राज्य/संभाग स्तर पर एक या दो दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। जिसमें भारत

सरकार, राष्ट्रिय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण दिया जावेगा।

(समयावधि जुलाई 2019)

5.6 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण वर्ष 2017--18 का राज्य स्तरीय लेखा प्रतिवेदन तैयार करना।

(समयावधि मार्च 2020)

राज्यीय आय संभाग के निर्धारित प्रकाशन

संभाग	स.क्र.	विषय	वर्ष	समय सीमा
8–राज्यीय आय	7	छत्तीसगढ़ का राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान	2011–12 से 2019–20 (अग्रिम)	मई 2020
9–बजट विश्लेषण	8	आय–व्ययक संक्षेप में	2020–2021	वित्त विभाग के निर्देशानुसार
	9	राज्य शासन के वार्षिक बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण	2019–20	मार्च 2020

संभाग–6. जीवनांक

,6.1 राज्य स्तरीय मासिक जीवनांक प्रतिवेदन का निगरानी करना।

(समयावधि–प्रतिमाह 10 तारीख तक)

6.2 वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी वर्ष 2018 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–जुलाई 2019)

6.3 प्रत्येक जिले के न्यूनतम 10 ग्रामीण एवं 10 नगरीय/संस्थागत इकाईयों का निरीक्षण संचालनालय के अधिकारियों द्वारा किया जाना एवं सुझाव /टीप के पश्चात् निरीक्षण टीप प्रस्तुत करना।

(समयावधि–जुलाई 2019)

6.4 जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा किए गए निरीक्षणों का परीक्षण जीवनांक के अधिकारियों द्वारा किया जाना।

(समयावधि प्रतिमाह)

6.5 जीवनांक प्रपत्रों का मुद्रण एवं जिलों को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करना।

6.6 राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित करना।

6.7 वर्ष 2019 तक में शत–प्रतिशत पंजीयन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक प्रयास करना।

6.8 जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018 तैयार कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–जुलाई 2019)

6.9 जीवनांक पंजीयन इकाईयों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करना।

6.10 वर्ष 2008 से पूर्व विधिक भाग के स्केनिंग/फोटो फिल्मिंग करवाने की कार्यवाही करना।

6.11 भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय के निर्देशानुसार जनवरी 2019 से परिशिष्ट 5 में समस्त जिलों के पंजीकृत जन्म/ मृत्यु/ शिशु मृत्यु/ मृत–जन्म/ मातृत्व मृत्यु दर की जानकारी एकजाई कर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली को प्रेषित करना।

(समयावधि–प्रत्येक माह के 15 तारीख तक)

6.12 संशोधित प्रपत्र 11, 12 एवं 13 के संबंध में जिलों एवं समस्त पंजीयन इकाईयों को प्रशिक्षित करना।

(समयावधि–जुलाई 2019)

6.13 जीवनांक कार्य में नियुक्त अधिकारियों व कर्मचारियों को नियम/ अधिनियम पर प्रशिक्षण एवं चिकित्सकों एवं कोडकर्ताओं को ICD-10 तथा मृत्यु के कारणों से संबंधित प्रपत्रों की प्रविष्टि हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

संभाग – 7 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना

7.1 विभागाध्यक्षों से 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन संबंधी मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करना परीनिरीक्षण एवं उसका संधारण प चात भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्याक्रम कार्यान्वयन, मंत्रालय को भेजना।

7.2 मान. उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया जाना।

संभाग – 8 कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना

(अ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

8.1 मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति का वर्ष में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना।

8.2 डिविजनल कमिश्नर को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन करने हेतु शक्तियां प्रदान करना।

8.3 जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग एवं लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा।

8.4 जिला प्राधिकारियों को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना।

8.5 जिला प्राधिकारियों के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करना।

8.6 उपसचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यो के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करना।

8.7 महालेखाकार के परामर्श, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा नियुक्त करना।

8.8 राज्य में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाईट पर डालना।

8.9 राज्यसभा के सांसद सदस्यों के अव्ययित राशि का योजना के मार्गदर्शिका पैरा 4.8 में निर्धारित किये गये अनुसार वितरण करना।

8.10 नोडल जिलों से अनुबंध–6, 1993–94 से 2019–2020 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यवार मासिक जानकारी प्राप्त कर कम्पाईलेशन एवं परीनिरीक्षण कर प्रतिमाह कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

8.11 संचालनालय द्वारा निर्धारित मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रपत्र–अ, ब एवं स वर्ष 1993–94 से 2017–18 तक की संसदीय क्षेत्र, राज्यसभा सदस्यवार जानकारी समस्त जिलों से प्रतिमाह प्राप्त करना एवं कम्पाईलेशन, परीनिरीक्षण कर कम्प्यूटर में संधारित करना तथा छत्तीसगढ़ शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को

प्रतिमाह भेजना।

8.12 लोकसभा/राज्यसभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के उत्तर समयावधि में भेजना।

(ब) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना

8.13 जिले के नोडल अधिकारी से योजना के प्रत्येक माह की 10 तारीख तक विधानसभा क्षेत्रवार कार्यो की प्रगति प्रतिवेदन जिलों से प्राप्त कर संधारित करना।

8.14 विधानसभावार जानकारी का परीक्षण प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पूर्ण कर वर्षवार, जिलेवार एवं मांग संख्यावार जानकारी संधारित करना तथा समय–समय पर समीक्षा बैठकों हेतु जानकारी तैयार करना।

8.15 विधानसभा के मानसून, शीतकालीन एवं बजट सत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर तैयार कर शासन को प्रेषित करना।

8.16 बजट कटौत्री प्रस्ताव तैयार करना।

8.17 लेखाधिकारी द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्राप्त आबंटन को आयोजन एवं आयोजनेत्तर के अंतर्गत प्राप्त बजट, जिलों को आबंटित करना। राशि के समर्पण एवं अतिरिक्त राशि हेतु शासन से पत्र व्यवहार करना। योजनांतर्गत राशि के अंकेक्षण के संबंध में कार्यवाही करना।

8.18 योजना के मार्गदर्शिका/दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यो के क्रियान्वयन में कठिनाई होने पर जिले द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के उत्तर समय–सीमा में भेजना।

8.19 जिले द्वारा स्वीकृत कार्यो का मॉनिटरिंग करना।

8.20 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत विधायकों द्वारा कराये जा सकने वाले कार्यो पर शासन की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण तैयार कर प्रेषित करना।

संभाग – 9 प्रशासन संभाग एवं सूचना के अधिकार

9.1 संचालनालय के अमले की स्थापना संबंधित समस्त कार्यो का निर्वहन करना।

9.2 संचालनालय स्तर से सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करना।

9.3 सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रभावी अधिनियम के प्रावधानों के अतंर्गत विभाग द्वारा आवेदक को समय सीमा में जानकारी नियमानुसार उपलब्ध कराना ।